लिव इन रिलेशनशिप

पतनशील पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण

आजकल मीडिया में लिव इन रिलेशनशिप की काफ़ी चर्चा हो रही है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है - बिना विवाह किये ही पति-पत्नी की भांति साथ रहना। देश के महानगरों और बड़े शहरों में काफ़ी संख्या में उच्च शिक्षित युवक-युवतियां इस तरह के संबंधों के प्रति आकर्षित हैं। बहुतेरे ऐसे संबंध बना कर रह रहे हैं। उनके बच्चे भी हो रहे हैं। सवाल है, इस तरह के संबंध क्या उचित हैं? क्या ये विवाह जैसी मूलभूत सामाजिक संस्था पर प्रहार नहीं हैं? क्या लिव इन संबंध वैवाहिक संबंध के बराबर हो सकते हैं?

यहां लिव इन रिलेशनशिप के पैरोकारों का कहना है कि विवाह एक तरह का बंधन है। पर स्वेच्छा से बिना विवाह किये एक साथ रहने में कोई बंधन नहीं है। यानी जब तक मर्ज़ी हो साथ रहें और जब मर्जी हो साथ छोड़ दें। इस तरह सबंधों को लेकर किसी तरह की प्रतिबद्धता और जिम्मेवारी का भाव नहीं। यहां यह सोचना चाहिए कि विवाह किये जाने की स्थिति में भी तलाक लेने का प्रावधान बना हुआ है और यदि उचित कारण मौजूद हों तो कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है अथवा पत्नी भी अपने पति से तलाक ले सकती है। फ़िर लिव इन रिलेशन में खास बात क्या हुई? खास बात यह लगती है कि ऐसे संबंधों में कोई एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं होता, उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती और इन संबंधों के लिए सामाजिक स्वीकृति लेने की जरूरत भी नहीं समझी जाती, बल्कि विवाह में पारिवारिक और सामाजिक स्वीकृति शामिल होती है, जिम्मेवारी और जवाबदेही तय होती है।

वैसे देखा जाये तो लिव इन रिलेशनशिप अभी उच्च वर्गीय अभिजातों में ही प्रचलित है। निम्न मध्यवर्ग के बीच अभी यह बीमारी नहीं फैली है। वजह यह है कि निम्न मध्यवर्ग अपनी हीन आर्थिक दशा और शिक्षा में पिछड़ेपन का शिकार होने के कारण उच्च अभिजात वर्ग की नकल नहीं कर सकता। वह सामाजिक और सांस्कृतिक बंधनों में जकड़ा हुआ है जबकि उच्च वर्ग के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। उच्च वर्ग पश्चिम की भौतिकवादी संस्कृति से प्रभावित है और पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक व्यवहार की नकल करता है। निम्न मध्य वर्ग भी अभिजात वर्ग की नकल करना चाहता है, पर इसके लिए भौतिक आधार उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसा कर नहीं सकता। उच्च वर्ग के लिए विवाह पूर्व यौन संबंध कोई खास अहमियत नहीं रखते, लेकिन निम्न मध्य वर्ग के लिए विवाह पूर्व यौन शुचिता का होना काफ़ी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

पश्चिमी देशों में यौन शुचिता का कोई मूल्य नहीं है। वहां स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां तक खुल कर यौन संबंध बनाती हैं और गर्भवती भी होती हैं। इंगलैंड में किशोरावस्था में ही लड़कियों के गर्भवती होने के कारण वहां के सामाजिक ताने-बाने पर बुरा असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए वहां बहुत पहले से ही बच्चों को यौन शिक्षा दी जा रही है, पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला और अंततः सरकार ने स्कूलों के आसपास किशोरों के लिए खास तौर पर बनाये गये कंडोम बेचने की व्यवस्था की। इसके लिए कंडोम वेंडिंग मशीनें लगाई गईं हैं। इंगलैंड ही नहीं, पूरे यूरोप एवं अमेरिका का हाल ऐसा ही है। यही कारण है कि वहां का पारिवारिक-सामाजिक ताना-बाना विघटन के कगार पर है। वहां विवाह के साथ ही तलाक की समस्या अपने चरम पर पहुंच गई है। वहां पूरा जोर अब लिव इन रिलेशनशिप पर है। लिव इन रिलेशनशिप में आज़ादी है कि आज जिसके साथ रह रहे हैं, कल उसे छोड़ा और किसी दूसरे के साथ रहने लगे। वैवाहिक संबंधों में इतनी छूट नहीं।

आज वैसी महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप की पैरोकार बन रही हैं जो अपने आप को आधुनिक और प्रगतिशील मानती हैं। जो इसका विरोध करता है, उसे ये पिछड़ा एवं कूढ़मगज़ मानती हैं। आज प्रगतिशीलता, आधुनिकता एवं उनमुक्तता का पैमाना यही माना जा रहा है कि आप पश्चिम के मूल्यों और वहां के सामाजिक चाल-चलन की कितनी नकल कर लेते हैं।

इस दृष्टि से देखा जाये तो सचमुच लिव इन रिलेशनशिप को आधुनिकता का पर्याय माना जा सकता है। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। अपने आपको नारीवादी कहने वाली औरतों ने लिव इन रिलेशनशिप को काफ़ी हवा दी है, पर उन्हें इस बात का बोध नहीं है कि इस संबंध में भी उनकी स्थिति दोयम दर्जे वाली होती है और उन्हें पारिवारिक-सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती। इस रिलेशनशिप के तहत जब तक औरत जवान रहती है, दूसरे शब्दों में जब तक उनमें यौन आकर्षण बना रहता है, तब तक उनका मूल्य होता है। पर उम्र की ढलान पर आते ही वे अकेले पड़ती जाती हैं। पुरुष साथी उनके पुराना पड़ते ही फ़िर किसी नई चिड़िया की तलाश में निकल पड़ता है और उसे हासिल भी कर लेता है। जबकि औरतें ऐसा नहीं कर सकतीं। इसके पीछे प्राकृतिक कारण हैं। लिव इन रिलेशनशिप के तहत रहने वाली औरतें जब अधेड़ावस्था में अपने साथी द्वारा छोड़ दी जाती हैं तब उनकी जो बुरी दशा होती है कि पूछें मत। उन्हें अब ताउम्र अकेले जीना पड़ता है। परिवार का साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि इस संबंध के तहत उन्होंने कोई परिवार बनाया ही नहीं। उन्हें लगता रहा कि परिवार एक पिछड़ी चीज़ है, उनमुक्तता में बाधक है। पर परिवार क्या है, इसका अहसास अब आकर उन्हें होने लगता है। पर वे करें तो करें क्या? 'अब पछताय क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत।' लिव इन रिलेशनशिप के तहत जीने वाली बहुतेरी महिलायें उम्र की ढलान पर पहुंचते ही अवसादग्रस्त हो जाती हैं। जीवन में कोई अर्थ उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। वे निराशावादी हो जाती हैं। कई तो आत्महत्या तक कर लेती हैं। इसलिए युवतियों को चाहिए कि वे लिव इन रिलेशनशिप के चरित्र को भलीभांति समझ लें।

एक समय था जब नारीवादियों ने पुरुष के वर्चस्व को चुनौती देते हुए पुरुषों की भांति ही रहना शुरू किया था और यह कोशिश की थी कि नारीत्व के सारे चिह्न मिटा दें। पर नारीत्व के प्राकृतिक चिह्नों को मिटाया जा पाना संभव नहीं है। बहुत-सी नारीवादियों ने विवाह को पुरुषों की गुलामी बता कर अविवाहित ही रहना शुरू कर दिया था अथवा समलैंगिकता को अपना लिया था। ये महिलाएं भी अंततः अलगाव और डिप्रेशन की शिकार हो गईं। बहुत-सी नारीवादियों ने आत्महत्यायें की तो बहुतों ने हिप्पी जीवनशैली अपना ली और अपने आप को भुलावे में डालने के लिए नशा करने लगीं।

देखा जाय तो लिव इन रिलेशनशिप में भी महिला कहीं से भी पुरुषों की अधीनता से मुक्त नहीं होतीं। पुरुषों की अधीनता से औरतें तभी मुक्त हो सकती हैं जब वे आर्थिक तौर पर उन पर निर्भर नहीं हों और अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें।

बहुत-सी औरतें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के बावजूद पुरुषों की गुलामी से मुक्त नहीं हो पातीं, क्योंकि उनके नज़रिये में बदलाव नहीं आता। उच्च पदों पर आसीन होने के बावजूद वे पुरुषों के हाथ का खिलौना बनी रहती हैं। उच्च वर्ग की महिलायें निरंतर भोग-विलास और फैशन में डूबी रहती हैं। इन्होंने स्वयं को अपने ही हाथों जकड़ रखा होता है। इसलिए उच्च शिक्षित होने के बावजूद ये गुलामी के दलदल से निकल पाने में सफल नहीं हो सकतीं। वास्तविक स्वतंत्रता के लिए इन्हें पुरुषों की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। यह तब होगा जब ये पुरुषों की भोग-विलास की सामग्री होने से इनकार कर देंगी। ऐसा वह विवाहित हो कर भी कर सकती हैं। लिव इन रिलेशनशिप बस चंद दिनों का भोग-विलास है। इससे स्त्री को आज़ादी नहीं मिल सकती।

बहुत-सी औरतें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के बावजूद पुरुषों की गुलामी से मुक्त नहीं हो पातीं, क्योंकि उनके नज़रिये में बदलाव नहीं आता। उच्च पदों पर आसीन होने के बावजूद वे पुरुषों के हाथ का खिलौना बनी रहती हैं। उच्च वर्ग की महिलायें निरंतर भोग-विलास और फैशन में डूबी रहती हैं। इन्होंने स्वयं को अपने ही हाथों जकड़ रखा होता है। इसलिए उच्च शिक्षित होने के बावजूद ये गुलामी के दलदल से निकल पाने में सफल नहीं हो सकतीं। वास्तविक स्वतंत्रता के लिए इन्हें पुरुषों की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। यह तब होगा जब ये पुरुषों की भोग-विलास की सामग्री होने से इनकार कर देंगी। ऐसा वह विवाहित हो कर भी कर सकती हैं। लिव इन रिलेशनशिप बस चंद दिनों का भोग-विलास है।

- मनोज कुमार झा

कानून एवं शासन पर भारी पड़ते खापों के फ़ैसले

हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में खाप-पंचायतों की जड़ें बहुत ही गहरी हैं। इन दिनों खाप-पंचायतें चर्चा में इसलिए आई हैं कि इन्होंने एक ही गोत्र में शादी करने वालों को गांव निकाला का फ़र्मान जारी कर दिया है। बहुचर्चित मनोज-बबली हत्याकांड मामले में अदालत ने अनेकों लोग़ों को फांसी एवं उम्र कैद की सज़ा दी है। कहा गया है कि मनोज एवं बबली एक ही गोत्र के थे और इन्होंने प्रेम विवाह कर लिया था। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से काफ़ी विकसित राज्यों में से हैं। पर खापों का वर्चस्व होने के कारण ऐसा लगता है कि आर्थिक तौर पर ये राज्य तो आगे बढ़ गये, पर सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में पिछड़े रह गये। सामंती सामाजिक संरचना टूट नहीं पाई जिसका परिणाम है कानून एवं शासन पर भारी पड़ते खापों के फ़ैसले। ऐसा क्यों हुआ, यह समाजशास्त्रियों के अध्ययन का विषय हो सकता है, फ़िलहाल यहां इतना कहना जरूरी है कि खाप पितृसत्तात्मक सामंती सामाजिक संरचना से उत्पन्न है। एक तरफ प्रचुर औद्योगिक व कृषि विकास, दूसरी तरफ़ जबरदस्त रूप से प्रचलित पर्दाप्रथा। शिक्षा एंव जागरूकता का अभाव। परिवार व समाज में मर्दों का भीषण वर्चस्व। ये बाते यह दिखाती हैं कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक विकास अपने आप नहीं हो जाता है, बल्कि उसके लिए सचेत तौर पर संघर्ष करना पड़ता है। सामंतवाद विरोधी सांस्कृतिक संघर्ष के अभाव में पुरुष सत्तावादी ताकतें कमजोर नहीं हो सकतीं और न ही उनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है।

हरियाणा में आर्यसमाज का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण उस समाज के कर्मकांडों जैसे हवन आदि को तो अपना लिया गया, पर जैसा कि आम तौर पर होता है आर्य समाज की मूल शिक्षाओं को नहीं अपनाया गया और न अब अपनाया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में वह अप्रासंगिक हो गया। सामंती खाप पंचायत से बंधे होने के कारण और खापों के काफ़ी ताकतवर होने के कारण पूंजीवादी संस्कृति का प्रसार भी यहां कम ही हो पाया। सामंती समाजों में शादी-विवाह आसपास के गांवों में होना आम बात है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है। हरियाणा ही नहीं, अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है, पर वहां खाप पंचायतों का अस्तित्व नहीं है। यद्यपि पंचायतें हैं, पर वहां सरकारी व्यवस्था के तहत पंच-सरपंच चुने जाते हैं। हरियाणा में भी ऐसा होता है, पर यहां खापों का आतंक है। खापों की दादागिरी के आगे कोई मुंह खोलने वाला नहीं है। सरकार भी इन पर नियंत्रण नहीं कर सकती, क्योंकि सरकारी मशीनरी में जो लोग़ शामिल हैं, वे गोत्र के अनुसार किसी न किसी खाप से जुड़े हैं। राजनेता भी खापों के विरोध में कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि फ़िर वोट कौन देगा? इसलिए खापें निर्द्वंद्व हैं। खापों के नेता यह समझ रहे हैं कि उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। हरियाणा और पंजाब में भी कन्या-वध ज्यादा है। कन्या भ्रूण हत्या काफ़ी होती है। इस वजह से यहां पुरुष-स्त्री अनुपात में भारी विसंगति पैदा हो गई है। इसका परिणाम इस रूप में सामने आ रहा है कि बहुत से लड़कों की शादी ही नहीं हो पाती। लड़के वाले रिश्ते का इंतज़ार करते-करते थक जाते हैं, पर कोई रिश्ता नहीं आता। मजबूरन बहुत से लोग़ ऐसे हैं जो दूसरे प्रांतों की ग़रीब लड़कियों को खरीद कर लाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। कई मामलों में तो बाहर से लाई गई लड़कियां बस जाती हैं, पर कुछ ऐसी भी घटनायें सामने आ चुकी हैं जिनमें विवाहिता को यहां का माहौल रास नहीं आया और वे भाग गईं, इसके अलावा कुछ तो ऐसी निकलीं कि कुछ माह रहने के बाद ससुराल का सारा माल-मता लेकर उड़ गईं। इस तरह देखें तो हरियाणा के युवकों के सामने शादी के लिए लड़की मिलना एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा यहां ऑनर किलिंग यानी सम्मान बचाये रखने के लिए मार दिये जाने की घटनायें काफ़ी सुनने को मिलती हैं। जब कोई युवक-युवती घर वालों की इजाजत के बिना प्रेम विवाह कर लेता है तो उनकी सुरक्षा को भारी खतरा उपस्थित हो जाता है। कई मामले में लड़के और लड़कियों को उनके परिवार वालों द्वारा मार दिया जाता है। इस तरह यहां पूरा जंगल राज है।

-मनोज

पेज 8 का शेष भाग

थाना छांयसा के पुलिस कर्मियों की मनमानी

उसके बाद जज साहब ने फूल सिंह के नल पर 10 मार्च को तत्काल नल हटाने का आदेश जारी किया। यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या निचली अदालत के जज साहेबान बिलकुल अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे जो उन्हें नल के दोष नजर ही नहीं आये। बेवजह अदालत का इतना समय बरबाद किया और उस बेचारे राजबीर की जेब को भी हलका किया। खैर छोड़िये, अदालत की इस तरह की मूर्खतापूर्ण लापरवाहियां कोई नई नहीं हैं।

उसके पश्चात राजबीर आर्डर की एक प्रति लेकर थाना छांयसा पंहुचा। वहां पर मुंशी तैनात ईश्वर एएसआई ने आर्डर की कॉपी रिसीव कर ली और उसे एएसआई कालूराम के पास भेज दिया। कालूराम ने बड़ी फुर्ती दिखाई और राजबीर से कहा- अगर तुझमें खूबी होगी तो नल आज ही बंद हो जाएगा। फिर कालूराम ने राजबीर को कल आने के लिये कहा। राजबीर फिर अगले दिन थाने में हाजिर हुआ तो पता चला कालूराम जी कहीं गये हुये हैं। इसी तरह राजबीर ने कभी सुबह कभी शाम थाने के चक्कर लगाये।

उसके करीब पंद्रह दिन बाद कालूराम जी फूल सिंह के मकान पर पधारे और कोर्ट के आदेशनुसार काम न करके वे राजबीर से बोले नल बंद हो जाएगा तो यह पानी कहां से पीएगा। जब राजबीर थाने जाता तो कालूराम टाल मटोल कर राजबीर को वापस घर भेज देता। इस संबंध में राजबीर ने संबंधित डीएसपी नत्थु सिंह को लिखित में सूचना दी लेकिन आज तक भी दोषी फूल सिंह का नल बेरोकटोक चल रहा है। बार-बार राजबीर कालूराम के उन शब्दों को सुनकर सोचता अगर मुझमें खूबी होगी तो नल कब का बंद हो जाता।

यह है थाना छांयसा के भ्रष्ट कर्मचारियों की कार्यशैली जिसकी वजह से क्षेत्र के कितने ही पीड़ित राजबीर की तरह पुलिस-प्रशासन को कोस रहे हैं।